प्राचार्य की कलम से.........

इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। 12 जुलाई 1989 को संस्थापित इस महाविद्यालय ने शैक्षणिक विकास के नित नये आयामों को छुए हैं। इसी श्रृखला में सत्र 2018–2019 में हमारे महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका हुआ। आज चुंकि HI Technology का जमाना है अतः इस ओर कदम बढ़ाते हुए महाविद्यालय के कैम्पस को WI FI कर दिया है एवं एक अतिरिक्त भवन का भी निर्माण किया गया है। महाविद्यालय में इंटरनेट सुविधा सहित एक सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध है। महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा संचालित अकादमिक एवं गैर अकादमिक प्रतियोगियों का मूल्यांकन भारत सरकार की एजेंसी **NAAC** बैंगलोर द्वारा माह सितम्बर 2016 में किया गया एवं नैक द्वारा महाविद्यालय को 2.67 सी.जी.पी.ए. के साथ **B+** ग्रेड प्रदान किया गया है, जो निश्चित ही महाविद्यालय की एक उपलब्धि है। किसी भी संस्था का उद्येश्य वहां पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में जहाँ नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को प्रेषित करना है, वहीं शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना है। महाविद्यालय का प्लेसमेंट सेल इस हेतु प्रयासरत है तथा महाविद्यालय का टी. सी. एस. के साथ टाईअप किया गया है।

महाविद्यालय में अध्यापन के अतिरिक्त विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु क्रीड़ा, एन.सी.सी. (नेवल विंग),एन.एस.एस. एवं रेडक्रॉस सोसाइटी की इकाइयाँ संचालित है जो विद्यार्थियों को देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु अपना योगदान दे रही है। महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ एवं हेल्प डेस्क के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करते हुए विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के सपनों को साकार कर रहा है।

प्रिय विद्यार्थियों आपको आपके उज्जवल भविष्य हेतु मेरी मंगलकामनायें हैं।

(डॉ. श्रीमती अल्का मेश्राम)
प्राचार्य / संरक्षक
इं. गां. शा. स्ना. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई (छ.ग.)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Quality Profile

Name of the Institution : Indira Gandhi Government Arts and Commerce College

Place : Vaishali Nagar, Bhilai, Dist. Durg, Chhattisgarh

Criteria	*Weightage* (W_i)	*Criterion-wise Weighted Grade Point* ($Cr\ WGP_i$)	*Criterion-wise Grade Point Averages* ($Cr\ WGP_i / W_i$)
I. *Curricular Aspects*	100	200	2.00
II. *Teaching-Learning and Evaluation*	350	1130	3.23
III. *Research, Consultancy and Extension*	150	340	2.27
IV. *Infrastructure and Learning Resources*	100	230	2.30
V. *Student Support and Progression*	100	300	3.00
VI. *Governance, Leadership & Management*	100	230	2.30
VII. *Innovations and Best Practices*	100	240	2.40
Total	$\sum_{i=1}^{7} w_i = 1000$	$\sum_{i=1}^{7}(Cr\ WGP_i) = 2670$	

$$\textit{Institutional CGPA} = \frac{\sum_{i=1}^{7}(Cr\ WGP_i)}{\sum_{i=1}^{7} W_i} = \frac{2670}{1000} = \boxed{2.67}$$

Grade = $\boxed{B^+}$

Date : November 05, 2016

Director

- This certification is valid for a period of *Five* years with effect from November 05, 2016
- An institutional CGPA on seven point scale in the range of 3.76 - 4.00 denotes A^{++} grade, 3.51 - 3.75 denotes A^+ grade, 3.01 - 3.50 denotes A grade, 2.76 - 3.00 denotes B^{++} grade, 2.51 - 2.75 denotes B^+ grade, 2.01 - 2.50 denotes B grade, 1.51 - 2.00 denotes C grade
- Scores rounded off to the nearest integer

EC(SC)/18/A&A/40.2

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा –

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक था अशोभनीय नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही, महाविद्यालय द्वारा आयेजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता से व्यवहार करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मागों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मागों को मनवाने के लिए राजनितिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10. छात्राएं कक्षाएं खाली होने की स्थिति में गर्ल्स कॉमन रूम में ही बैठें।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. <u>प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। (NCC/NSS विद्यार्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी।)</u>
2. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
3. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं और ग्रन्थालय वाचनालय में पंखे, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा व दंडित किया जायेगा, ऐसा करने पर इसकी भरपाई भी करनी होगी।

परीक्षा संबंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई मासिक परीक्षाओं, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा उपान्त्य (प्री फाईनल/मॉडल टेस्ट) हेतु परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक कार्य का गंभीर अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किया जाने पर अथवा रैगिंग में के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

इन्दिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
वैशाली नगर- भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

वैशालीनगर व आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए वैशालीनगर भिलाई में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना दिनांक 12.07.1989 को की गई है। वर्तमान में लगभग 11 एकड़ जमीन पर स्वनिर्मित भवन में चारों संकायों कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा गृह विज्ञान में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन-अध्यापन का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहा है। महाविद्यालय में कुल प्रायः एक हजार छात्र-छात्राएँ अध्ययन कर अपने उच्च शिक्षा के सपनों को साकार कर रहे हैं। यह महाविद्यालय दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध है।

लक्ष्य एवं संस्था के उद्देश्य :

1. छात्र/छात्राओं को सहज एवं कम खर्च में अच्छी शिक्षा प्रदान कराना।
2. विद्यार्थियों में सामाजिक, नैतिक एवं सर्जनात्मक गुणों का विकास करना।
3. विद्यार्थियों की लेखन शैली का विकास करना।
4. विद्यार्थियों में लिखित एवं मौखिक सम्प्रेषण कला का विकास करना।
5. स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित करना।
6. समसामयिक समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाना।
7. रोजगार उपलब्धि हेतु, प्रयास करना और प्रेरित करना ।

अध्ययन हेतु उपलब्ध विषय

कला संकाय (स्नातकोत्तर)

एम.ए. (अंग्रेजी), (पूर्वार्ध/उत्तरार्ध) एवं एम.ए. (अर्थशास्त्र), (पूर्वार्ध/उत्तरार्ध)

कला संकाय (स्नातक)

विषय समहू	-	**बी.ए. भाग [एक]**			
आधार पाठ्यक्रम	-	अ. पर्यावरण अध्यन	ब. हिन्दी भाषा	स. अंग्रेजी भाषा	
वैकल्पिक विषय	-	1. समाज शास्त्र	2. अर्थशास्त्र	3. राजनीति शास्त्र	
		4. भूगोल	5. हिन्दी साहित्य अथवा संस्कृत साहित्य		6. अंग्रेजी साहित्य
		बी.ए. भाग [दो एवं तीन]			
अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम	1. हिन्दी भाषा	2. अंग्रेजी भाषा	
वैकल्पिक विषय	-	निम्न में सो कोई तीन (भाग एक में चयनित विषय ही होंगे)			
		1. समाजशास्त्र	2. अर्थशास्त्र	3 राजनीतिशास्त्र	
		4. भूगोल	5. संस्कृत साहित्य अथवा हिन्दी साहित्य		6 अंग्रेजी साहित्य

वाणिज्य संकाय (स्नातक)

विषय समूह	-	**बी.कॉम. भाग [एक]**			
आधार पाठ्यक्रम	-	1. हिन्दी भाषा	2. अंग्रेजी भाषा	3. पर्यावरण अध्ययन	
ग्रुप-1		1. वित्तीय लेखांकन	2. व्यवसायिक गणित		
ग्रुप-2		1. व्यवसायिक संचार	2. बिजनेस रेगुलेटरी - फ्रेमवर्क		
ग्रुप-3		1. बिजनेस इनवायरनमेंट	2. व्यवसायिक अर्थशास्त्र		
		बी.कॉम. भाग [दो]			
आधार पाठ्यक्रम	-	1. हिन्दी भाषा	2. अंग्रेजी भाषा		
ग्रुप-1		1. निगमीय लेखांकन	2. लागत लेखांकन		
ग्रुप-2		1. कम्पली लॉ	2. प्रबंध के सिद्धांत		
ग्रुप-3		1. व्यवसायिक सांख्यिकी	2. उद्यमिता		
विषय समूह	-	**बी.कॉम भाग [तीन]**			
आधार पाठ्यक्रम	-	1. हिन्दी भाषा	2. अंग्रेजी		
अनिवार्य विषय	-	1. आयकर	2. अप्रत्यक्ष कर	3. प्रबंध लेखांकन	4. अंकेक्षण
वैकल्पिक विषय	-	1. वित्तीय प्रबंध	2. वित्तीय बाजारों की रूपरेखा		

"युवा या बुजुर्ग उम्र से नहीं, सोच से पता चलता है। आपकी सोच बताती है कि आपकी उम्र क्या है?" - मुहम्मद अली

विज्ञान संकाय (स्नातकोत्तर)

एम.एससी. (रसायन शास्त्र) पूर्वार्ध एवं एम.एससी. (रसायन शास्त्र) उत्तरार्ध

विज्ञान संकाय (स्नातक)

विषय समूह - बी.एस-सी. भाग [एक]

आधार पाठ्यक्रम - 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक - किसी भी एक समूह का चयन करना होगा।

अ. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित (बी.एससी-गणित)

ब. भौतिक शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर (स्ववित्तीय योजना) (बी.एससी-कम्प्यूटर)

स. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन (बी.एससी.-बायो)

द. इन्डस्ट्रीयल माइक्रोबायोलॉजी (स्ववित्तीय योजना), रसायन, वनस्पतिशास्त्र (बी.एससी.-इन्डस्ट्रीयल माइक्रोबायोलॉजी)

बी.एससी. भाग [दो]

आधार पाठ्यक्रम - 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

वैकल्पिक विषय - किसी भी एक समूह का चयन करना होगा।

अ. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, (बी.एससी-गणित)

ब. भौतिक शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर (स्ववित्तीय योजना) (बी.एससी-कम्प्यूटर)

स. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन (बी.एससी-बायो.)

द. इन्डस्ट्रीयल माइक्रोबायोलॉजी (स्ववित्तीय योजना), रसायन, वनस्पतिशास्त्र (बी.एससी-इन्डस्ट्रीयल माइक्रोबायोलॉजी)

बी.एससी. भाग [तीन]

आधार पाठ्यक्रम - 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय - किसी भी एक समूह का चयन करना होगा।

अ. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, (बी.एससी-गणित)

ब. भौतिक शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर (स्ववित्तीय योजना) (बी.एससी-कम्प्यूटर)

स. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन (बी.एससी-बायो.)

द. इन्डस्ट्रीयल माइक्रोबायोलॉजी रसायन (स्ववित्तीय योजना), वनस्पतिशास्त्र

गृह विज्ञान संकाय (स्नातक)

बी.एससी. गृह विज्ञान भाग [एक]

आधार पाठ्यक्रम - 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. पर्यावरण अध्ययन

अन्य विषय - 1. आहार एवं पोषण 2. संसाधन प्रबंध 3. जन्तु विज्ञान 4. सामुदायिक विकास 5. व्यक्तिक सशक्तिकरण एवं कम्प्यूटर 6. बाल विकास

बी.एससी. गृहविज्ञान भाग [दो]

अनिवार्य विषय - 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

अन्य विषय - 1. सामान्य एवं रूग्णावस्था में आहारीय प्रबंध 2. उपभोक्ता अर्थशास्त्र 3. जीवन विस्तार विकास एवं शिक्षा 4. वस्त्र परिधान एवं छपाई तकनीकी 5. संचार एवं प्रसार शिक्षा 6. सामुदायिक पोषण एवं व्यवहारिक जीवन विज्ञान

बी.एससी. गृहविज्ञान भाग [तीन]

अनिवार्य विषय - 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

अन्य विषय - 1. आहारीय जीवन रसायन 2. कला एवं डिजाइन के आधार तत्व 3. पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा 4. परिधान संरचना एवं फैन डिजाइन 5. प्रसार शिक्षा 6. खाद्य परीक्षण

टीप - 1. सीटों की उपलब्धता के आधार पर वैकल्पिक विषय प्रदान किये जायेंगे।
2. सभी संकायों में पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन हेतु कम्प्यूटर की विशेष सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालयीन शुल्क

महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही विद्यार्थी पूरे वर्ष का अध्ययन शुल्क जमा करने के लिये उत्तरदायी है। यदि किसी कारणवश वह वर्ष के बीच में ही अध्ययन छोड़ देता है तो अवशेष राशि उससे वसूल की जायेगी।

(अ)	शासकीय शुल्क	1.	पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए)	115/-
		2.	प्रवेश शुल्क	2/-
		3.	स्टेशनरी शुल्क	3/-
		4.	कला (भूगोल) एवं विज्ञान निकायों में प्रायोगिक शुल्क	20/-
(ब)	अशासकीय शुल्क	1.	छात्र संघ प्रवेश शुल्क	2/-
		2.	निर्धन छात्र कल्याण निधि	5/-
		3.	परिचय पत्र	3/-
		4.	महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-
		5.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	25/-
		6.	छात्रसंघ गतिविधियाँ (क) सम्मिलित निधि	20/-
			(ख) क्रीड़ा सम्मेलन (वार्षिक)	12/-
		7.	स्नेह सम्मेलन (वार्षिक)	5/-
		8.	चिकित्सा शुल्क	3/-
		9.	पुनः प्रवेश शुल्क	10/-
		10.	छात्र/छात्रा कॉमन रूम	20/-
		11.	विभागीय ग्रन्थालय	15/-
(स)	जनभागीदारी शुल्क	1.	कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय	450/-
		2.	प्रयोग शाला विकास शुल्क (विज्ञान)	350/-
		3.	प्रयोग शाला विकास शुल्क (भूगोल)	100/-
		4.	स्ववित्तीय विषय (कम्प्यूटर विज्ञान एवं इन्डस्ट्रीयल माइक्रोबायोलॉजी)	6500/-
		5.	सुरक्षा सहयोग शुल्क	50/-
		6.	स्थानीय परीक्षा (आंतरिक मूल्यांकन हेतु) शुल्क	100/-
(द)	विश्वविद्यालय शुल्क	1.	विश्वविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-
		2.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	100/-
		3.	परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा।	
		4.	स्थाई निधि शुल्क	10/-
		5.	अप्रवासन (माईग्रेशन शुल्क)	300/-
		6.	धरोहर राशि स्नातक	60/-
		7.	धरोहर राशि स्नातकोत्तर	100/-

(विशेष : इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक, जिन्होनें कॉशनमनी न निकाली हो उन्हें 40/- देय है।)

टीप :- अप्रवासन शुल्क 300 रू. उन छात्रों को देय होगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की है।

टिप्पणी :-
1. सभी प्रकार के शुल्क में छत्तीसगढ़ शासन अथवा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्रवेश मिल जाने के बाद प्रत्येक छात्र को सम्पूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य रूप से शैक्षणिक शुल्क देना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इनका कोई संबंध नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ शासन की किसी अन्य शासकीय संस्था से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितने शुल्क का छात्र ने भुगतान किया है, वह शुल्क उसे पुनः नहीं देना होगा। ऐसे छात्रों को पूर्व महाविद्यालय से शुल्क के भुगतान करने बाबत् आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. शिक्षण शुल्क की राशि प्रवेश लेते समय एक साथ जमा करना होगा।
4. किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. महाविद्यालय छोड़ने की तिथि के 3 साल के अन्दर धरोहर राशि 60/- वापस प्राप्त करें अथवा शासकीय कोष में राजसात हो जायेगी।

शुल्क में छूट की पात्रता :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/छ.ग. शासन तृतीय/चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी की संतान तथा छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी। यदि संस्था में एक ही परिवार के दो भाई अध्ययनरत हो तो दोनों से किसी एक को आधे शिक्षण शिक्षण में छूट की पात्रता होगी।

अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षा संबंधी नियम-

मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक-198/अति. संचा/3/88, भोपाल दिनांक 17 मई 1988 के अंतर्गत बी.ए./बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षा में पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रवेश नियमित छात्रों के प्रवेश के साथ होंगे। अब प्रत्येक सत्र में यह अतिरिक्त प्रायोगिक व्यवस्था सत्रारंभ से 6 माह के लिये होगी। तदनुसार शुल्क भी अब 6 माह के लिये जावेगा। ऐसे अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं प्राइवेट श्रेणी के अंतर्गत महाविद्यालय का प्रवेश फार्म भरेंगे तथा प्रवेश पाने पर निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथासमय सूचित की जावेगी। अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के 6 माह प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। स्वाध्यायी आवेदकों को केवल बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रायोगिक सुविधा मिलेगा।

अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिये शुल्क विवरण

शासकीय शुल्क	30/-
विज्ञान विषयों के लिए	80/- (प्रत्येक विषय हेतु)
भूगोल	80/-
अध्यापन शुल्क	80/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	100/-
सायकल स्टैण्ड	25/-
जनभागीदारी शुल्क (कला-{भूगोल} एवं विज्ञान संकाय)	350/- (प्रति छात्र)
स्व वित्तीय योजना (कम्प्यूटर/औ. सूक्ष्म जीव विज्ञान)	550/- (प्रति छात्र)

आवेदक को प्रवेश आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि (छायाप्रति) संलग्न करना आवश्यक है।

1. आवेदक अपना पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाएं और एक फोटो परिचय पत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
3. 10 वीं. हाई स्कूल (10+2) एवं 12 वीं की अंक सूची।
4. आगामी कक्षा में प्रवेश पात्रता हेतु पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची।
5. चरित्र प्रमाण पत्र (यदि आवेदक पिछली कक्षा में नियमित छात्र न रहा हो तो प्रतिष्ठित नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र)।
6. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग का है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
7. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संतान होने का प्रमाण पत्र।
8. यदि छात्र का अध्ययन निरंतर जारी न रहा हो तो संबंधित वर्ष का गेप प्रमाण पत्र (शपथ पत्र) नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो, न कि कोर्ट का टिकट लगा हुआ। स्टाम्प पेपर उपलब्ध न हो तो शपथ पत्र में स्पेशल एडहेसिव टिकट लगा हुआ हो।

9. सी.जी. बोर्ड के अतिरिक्त आवेदक को निवास प्रमाण-पत्र/केन्द्रीय बोर्ड तथा अन्य विश्वविद्यालय अथवा अन्य बोर्ड के आवेदक को प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण पत्र (मूलप्रति) माँगे जाने पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. यदि आवेदक ने शैक्षणिक पाठ्येत्तर गतिविधियों (खेलकूद/क्रीड़ा आदि) में राज्य अथवा देश का प्रतिनिधित्व किया हो तो उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करें अन्यथा इसमें 75% उपस्थिति प्रभावित होगी।

12. छात्र सेवारत हो तो नियोक्ता की लिखित अनुमति प्राप्त कर संलग्न करें। यह अनिवार्य है, जानकारी छुपाने पर अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी कभी भी कक्षा से निकाला जा सकता है। नौकरी में न होने का वचन पत्र देना अनिवार्य है।

13. इस महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्राएँ जो अगली कक्षा में प्रवेश चाहते हैं, आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त अपना परिचय पत्र संलग्न करें।

टीप :- प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश पत्र का उपयोग :-

1. महाविद्यालय में प्रवेश की सूचना मिलने के साथ ही प्राप्त प्रवेश पत्र में समस्त देय शुल्कों का पूर्ण विवरण भी रहता है। अतः सभी छात्र-छात्राओं को चाहिये कि वे अपने पत्र सावधानी पूर्वक रखें।

2. छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शुल्क का भुगतान करते समय अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र प्रस्तुत किये बिना महाविद्यालय द्वारा कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के हित में है कि वे शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जांच कर लें कि प्रवेश पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ सही है।

3. प्रवेश पत्र खो जाने की अवस्था में छात्र-छात्राओं को 10 रूपये जमा कर नया (Duplicate) प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा।

4. **परिचय पत्र :-** परिचय पत्र प्रत्येक छात्र को रखना अनिवार्य है। महाविद्यालय में उपस्थिति के दौरान छात्र के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है।

उच्च शिक्षा छ.ग. शासन द्वारा इस सत्र से ऑन लाईन प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित है।

क्या है रैगिंग ?

"कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी या अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़े। छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिये कहना, जो छात्र-छात्रा नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिये खतरा हो।"

इसमें लिप्त होनें पर दण्ड

प्रवेश निरस्त किया जाना, छात्रवृत्ति या अन्य सुविधाओं से वंचित करना, परीक्षा परिणाम रोकना, युवा उत्सव में सभी स्तरों पर भाग लेने पर प्रतिबन्ध, संस्था से निष्कासन, पाँच वर्ष की सजा अथवा रु. 5000/- (रु. पांच हजार) का आर्थिक दण्ड या दोनों ही देना आदि।

अन्य सुविधाएं (शिक्षण/शिक्षणेतर गतिविधियाँ)

1. **खेलकूद :-**

छात्र/छात्राओं के समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु महाविद्यालय में विविध खेलकूद की व्यवस्था है। क्रीड़ा अधिकारी के मार्गदर्शन में सत्र के दौरान विभिन्न खेलों का नियमित अभ्यास कराया जायेगा। नियमित अभ्यास एवं योग्यता होने पर ही विभिन्न खेलों में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकेंगें।

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना :-**

छात्र - छात्राओं को समाज सेवा तथा जनकल्याण कार्यो को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 विद्यार्थियों की एक इकाई कार्यरत है। राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल अवधारणा के अनुरूप इससे छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।

3. **NCC Nawal wing** महाविद्यालय में 2010 से **NCC** की **Nawal wing** संचालित है इसें प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है पिछले दो वर्षो से लगातार महाविद्यालय के कैडेट्स ने आर.डी.सी. कैम्प दिल्ली में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

4. **ग्रंथालय :-**

महाविद्यालय के पुस्तकालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ ग्रंथो की लगभग 17741 पुस्तकों का संग्रह है। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय से पुस्तकें नियमानुसार निर्गमित की जाती है। वाचनालय में विभिन्न समाचार पत्रों रोजगारोन्मुखी समाचार पत्र, जर्नल्स एवं पत्रिकायें छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिये उपलब्ध कराई जाती है। बुक बैंक योजना एवं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें सत्रांत तक के लिये निर्गमित की जाती है। सामान्य वर्ग के छात्रों को दो पुस्तकें 14 दिनों के लिये निर्गत की जाती है। इसके अतिरिक्त विकलांग छात्रों को विशेष सुविधा उपलब्ध है। ग्रंथालय में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

4. स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये Chemical Society, Literary Council तथा Economics Council का गठन किया जाता है।

5. **विभिन्न क्लब एवं परिषदों का गठन :-**

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास हेतु महविद्यालय में विभिन्न क्लब जैसे - ईको क्लब, विज्ञान परिषद्, वाणिज्य परिषद् एवं साहित्य कला परिषद् का गठन किया जाता है।

6. **रोजगार मार्गदर्शन एवं समान अवसर प्रकोष्ठ :-**

महाविद्यालय में छात्रों को रोजगार सम्बन्धी जानकारी एवं सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। छात्र-छात्राओं को इसमें मार्गदर्शन दिया जाता है।

7. **एल्यूमिनी एवं शिक्षक अभिभावक संघ :-**

महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र-छात्राओं की समिति एवं वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की समिति का गठन कर नियमित बैठक आयोजित की जाती है। समिति के सुझावों का विचार पूर्वक पालन किया जाता है।

8. **रेमेडियल कोचिंग एवं शासकीय सेवा में भर्ती हेतु कोचिंग :-**

महाविद्यालय में SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक छात्रों हेतु यू.जी.सी. योजना के अन्तर्गत रेमेडियल कोचिंग एवं शासकीय सेवा में भर्ती हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था है।

9. **शिक्षक - अभिभावक योजना :-**

शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में शिक्षक-अभिभावक योजना लागू है। जिसमें एक निश्चित सीमा में छात्रों का मार्गदर्शक संरक्षक के दायित्व का निर्वहन संबंधित शिक्षक द्वारा किया जायेगा। इस विवरिणका के साथ विद्यार्थियों के लिए इस योजना का त्रिपृष्ठीय आवेदन संलग्न है। कृपया उसे पूरा भरकर जमा करें।

10. **छात्र संघ :-**

विश्वविद्यालयीन नियमों एवं निर्देशों के अनुसार है छात्र संघ का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाता है।

11. कैम्पस चयन - महाविद्यालय में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनी से सम्मानित उनके अधिकारोयं द्वारा विभिन्न पदों के लिये चयन किया जाता है।

12. यू.जी.सी. विशेष योजना के तहत महाविद्यालय में "रेमिडियल कोचिंग" एवं "सेवा में प्रवेश हेतु (राज्य सेवा/बैंकिंग, रेल्वे) कोचिंग की व्यवस्था भी है एवं पिछले 11 वी योजना से यह लगातार जारी है"।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत

1. **प्रयुक्ति**

1.1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर है।

2. **प्रवेश की तिथि**

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अस्थायी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रामाणित किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूचि के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वाविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने पर प्रवेश की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारीयों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

2.3. पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना –

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पूनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :-**

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें"

विशेष : इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रत्येक संकाय में उपलब्ध सीट सीमा 200 है किन्तु बी.एस-सी जीव विज्ञान कक्षा में 100 है, परन्तु सीटों की उक्त सीमा उपलब्ध साधन, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, स्टाफ की उपलब्धता, प्रयोगशाला, उसमें उपलब्ध उपकरण एवं उपयोगी सामग्री की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थीयों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देगें।

4. **प्रवेश सूची :-**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणिक किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने मे एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेगें कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र-छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्छ शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यायों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस-सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र-छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.काम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

(1) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

(2) स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

विशेष - इस महाविद्यालय में वर्तमान में स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु सीट्स का प्रावधान है -
(क) एम.ए. अंग्रेजी-30 (ख) एम.ए. अर्थशास्त्र-30 (ग) एम.एस-सी रसायन 15

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल-एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल-एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल-एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लूग होगा। प्रवेश की पात्रता होगी।

इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। तो 40% होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालय/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्ताओं से डिग्री/डिप्लेमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गए एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिये अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार - "जैसा कि आपको ज्ञात है आथिर्क कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तथ्यों को निगमित किया गया है।

जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनबीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्याल यमें स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यवसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्याल एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिये प्रया सिकया जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिये सुअवसर मिल सके।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए/बी.कॉम/बी.एस-सी./बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होनें से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् नियमित प्रवेश दिया जावे आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित महाविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयो से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक सत्र की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी /गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयो में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता :-**

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय /तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/ द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. **प्रवेश हेतु अर्हताएं :-**

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायलय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और /या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :-

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्धर/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगी।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नाकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/ विकलांग विद्यार्थीयों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार होगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेत प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों का प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समिपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगी, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटें पात्र विद्याथियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थीयों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थीयों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकालंग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी को कोई उम्मीद्वार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है। तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी

जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मिर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5% तक की सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10% की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जरी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सविर्सेस अथॉरितटी विरूद्ध भारत सरकार एक अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational instituitions and for public appointment." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किया जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स

स्काऊट्स शब्द को स्काउट्स/गाईडस/रेजर्न्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एस.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक क्विज/रूपांकन प्रतियोगितायें :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग स्तर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 02 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में

- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्य को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए, एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेटस तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण -पत्रों को संचालक, खेल एवं युवाकल्याण, छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी, जिन्होनें निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु, इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण- पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2. में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधिक विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच-डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधितकम 4 वर्ष कर सकेगें। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने परही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर केअन्यत्र स्नाथानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित कियागया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जान बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासनिक अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार/दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य हो होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगें, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध होने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण

क्रमांक	छात्रवृत्ति का प्रकार तथा अर्हकारी परीक्षाओं का विवरण	छात्रवृत्ति किस कक्षा या पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जायेगी	आय-सीमा	अवधि	दर		अन्य अर्हताएं/शर्तें
					छात्रावासी	गैर छात्रावासी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
1.	अ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/जनजाति	.	2,00,000/-	प्रथम वर्ष	140 रू. प्रतिमाह	.	.
				द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	185 रू. प्रतिमाह		
	ओ.बी.सी. पिछड़ा वर्ग		1,00,000/-	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	छात्र 55 रू. प्रतिमाह छात्रा 70 रू. प्रतिमाह		यह छात्रवृत्ति ऑनलाइन है।
2.	ब) छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10-2 पैटर्न की हायर सेकेण्डरी (12 वीं) परीक्षा के आधार पर	प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम	25,000/- तक	3 वर्ष	75/-		
					100/-	75/-	माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग. की 12 वीं परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर
					110/-	75/-	डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए, व्यावसायिक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति नवीनीकरण कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।
3.	स) बी.पी.एल. छात्रवृत्ति (स्नातक 1,2,3, वर्ष)	डिग्री पाठ्यक्रम	BPL प्रमाण पत्र के आधार पर	10 माह		300/- प्रतिमाह	BPL प्रमाण पत्र
विशेष	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, संस्कृत छात्रवृत्ति एवं NCC छात्रवृत्ति आदि भी हैं।						

महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध होने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण

क्रमांक	छात्रवृत्ति का प्रकार तथा अर्हकारी परीक्षाओं का विवरण	छात्रवृत्ति किस कक्षा या पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जायेगी	आय-सीमा	अवधि	दर		अन्य अर्हताएं/शर्तें
					छात्रावासी	गैर छात्रावासी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
4.	खेलकूद छात्रवृत्ति	छात्र/छात्राएं	24000/- तक	10 माह	150/-	प्रतिमाह	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य संबंधित विश्वविद्यालय को भेजेंगे यह छात्रवृत्ति उनके लिए है जो छ.ग. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रहे हो, या जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में किसी एक पर रहे हों।
5 .	स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति	विज्ञान समूह वाणिज्य मानविकी	24,000/- तक	30 माह	150/-	प्रतिमाह	
6.	स्नातक योग्यता सह साधन शिष्यवृत्ति	विज्ञान समूह वाणिज्य मानविकी	24,000/- तक	30 माह	150/-	प्रतिमाह	माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।
केन्द्रीय छात्रवृत्ति							
7.	विकलांग छात्रवृत्ति	पंचायत एवं समाज सेवा विभाग	24000/- तक	10 माह	150/-	प्रतिमाह	विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति							
8.	निर्धन सहायता कोष	वि.वि./महा.वि. स्तर पर निर्धन छात्रों के लिए निर्धन छात्र सहायता कोष के राशि का भुगतान	12000 रू. से अधिक न हो	चालू सत्र के लिए	महा.वि. में उपलब्ध फंड से कमेटी द्वारा स्वीकृत राशि सहायता कोष के रूप में		अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए

"प्रभु ने दो-दो कर दिये, करो कमाई आप। पराधीनता सम नहीं, और दूसरा पाप।" - काबा और कर्बला (मैथिलीशरण गुप्त)

इं. गां. शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

वैशाली नगर – भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

(NAAC) द्वारा B श्रेणी प्राप्त

(महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन – पत्र)

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक .... प्रतिशत	पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें

नोट :– (1) आवेदक सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरे । असत्य/गलत जानकारी होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये आवेदक ही उत्तरदायी होगा ।

(2) स्नातक में एकाधिक संकाय में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक संकाय के लिये अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करें ।

कक्षा, जिसमें प्रवेश चाहिए ....

आवेदक, जो विषय लेना चाहते हैं । (1) (2) (3)

(4) (5) (6)

1. क. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी केपीटल लेटर्स में) ....

ख. पिता का पूरा नाम एवं पता ....

ग. माता का पूरा नाम ....

घ. स्थायी पता ....

च. स्थानीय पता ....

....

छ. दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नं. ....

2. जन्म तारीख (अंको में) ....(शब्दों में)..

3. जन्म स्थान एवं राष्ट्रीयता ....

4. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है ? यदि हाँ तो किस स्थान का ? ....

5. संरक्षक (यदि पिता जीवित नही हैं)..

6. पिता/संरक्षक का व्यवसाय ....

7. पिता/संरक्षक के छत्तीसगढ़ में रहने की अवधि ....

8. जाति – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/विकलांग छात्र/(प्रमाण पत्र संलग्न करें)....................

9. यदि छ.ग. शासन के तृतीय या चतुर्थ कर्मचारी, सेना में नियुक्त कर्मचारी, भूवपूर्व सैनिक हों तो (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

10. क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते है । यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें .

11. यदि पिता/संरक्षक स्थानीय न हो तो स्थानीय संरक्षक का पूरा नाम एवं आवेदक से सम्बन्ध 1. नाम .... 2. संबंध

3. पता ....

12. पिछली संस्था का नाम जिसमें छात्र/छात्रा ने

(अ) अध्ययन किया तथा अध्ययन का वर्ष ....

(ब) विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम एवं नामांकन क्रमांक ....

13. आवेदक की शैक्षणिक प्रगति का विवरण : (इसे अनिवार्य रूप से भरना चाहिए)

कक्षा		उत्तीर्ण करने के वर्ष और विवरण					विषय	माध्यमिक शिक्षा मंडल या वि.वि. का नाम और अंत में छोड़ी शिक्षा संस्था	अनुत्तीर्ण/पूरक होने का वर्ष विषय तथा शिक्षण संस्था का नाम
		रोल नं.	वर्ष	परीक्षा फल	श्रेणी	विशिष्ट स्थान			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दसवी बोर्ड परीक्षा									
10+2 बोर्ड परीक्षा (12 वी)									
बी.ए. या बी.एस.सी. या बी.काम.	प्रथम वर्ष								
	द्वितीय वर्ष								
	तृतीय वर्ष								

14. पिछली परीक्षा का माध्यम ....

15. क्या गत चार वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रम निरंतर जारी रहा – हाँ/नहीं ....

16. उल्लेखनीय उपलब्धियाँ – खेलकूद, एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

17. आवेदक को प्राप्त छात्रवृत्ति/पुरस्कार आदि का सम्पूर्ण विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

18. क्या आवेदक कहीं भी किसी प्रकार नौकरी में है ? यदि हाँ तो विवरण देकर, महाविद्यालय में अध्ययन के लिये नियोक्ता का अनुमति पत्र (मूलतः) संलग्न करें। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की (शासकीय/अर्ध शासकीय/अशासकीय अथवा अन्य) नौकरी में नहीं है तो इस घोषणा-पत्र को भरकर हस्ताक्षर करें –

घोषणा-पत्र

मैं (नाम).. (पिता का नाम)..

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कहीं भी किसी प्रकार की और कोई भी नौकरी नहीं कर रहा/रही हूँ, प्रवेशार्थी का नाम ....

....हस्ताक्षर .... तिथि ....

(यह अनिवार्य है। जानकारी छिपाने अथवा असत्य जानकारी देने पर प्रवेशार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा)

19. संलग्न आभिलेख की सूची

(आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें। प्रवेश के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

1. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
2. जन्म तारीख प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. चरित्र – प्रमाण पत्र
5. नियोक्ता की स्वीकृति पत्र मूल प्रति (यदि सेवारत हों), यदि नौकरी में न हों तो उपर्युक्त घोषणा पत्र भरकर यहीं हस्ताक्षर करना है।
6. अनूसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/विद्यार्थी के माता-पिता के तृतीय या चतुर्थ कर्मचारी/भूवपूर्व सैनिक/ गरीबी रेखा से नीचे/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र/प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र यदि अन्य विश्वविद्यालय से आया हो।
7. अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि
8. विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण पत्र

टीप : संलग्न प्रपत्रों को पूर्णतः भरें अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं घोषित करता/करती हूँ कि महाविद्यालय की विवरणिका में दिये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का भली भांति अध्ययन कर लिया है, तथा मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि अध्ययनरत् रहकर अपने कर्त्तव्यों एवं महाविद्यालय के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं परीक्षाओं में किसी भी अव्यवस्था अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी। प्राचार्य महोदय तथा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं करूंगा/करूंगी। मेरी ओर महाविद्यालय का कोई शुल्क या अन्य किसी संबध में कोई राशि देय नहीं है तथा मैं घोषणा करता/करती हूँ की कि मेरे विरूद्ध गत् वर्षो में अनुशासन भंग, दुराचार, परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग या दुर्व्यवहार अथवा अन्य किसी कारण से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या किसी न्यायलय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैने समस्त जानकारी ऊपर दे दी है तथा उसमें जब कभी कोई परिवर्तन होगा उसकी सूचना मैं जरूर दूंगा/दूंगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है और मेरे द्वारा प्रवेश के संबंध में दी गई जानकारी, प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि सत्य एवं पूर्ण है। उपर्युक्त प्रतिज्ञा का उल्लघंन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी साथ ही मेरे विरुद्ध अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

मैने महाविद्यालय की विवरण प्रत्रिका में दिये छात्रों के आचरण नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ।

दिनांक .... आवेदक का पूरा नाम एवं उसके पूर्ण हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं का भली-भाँति अध्ययन मैने कर लिया है। महाविद्यालय में उनके अध्ययन काल में उसके आचरण, कक्षा में उपस्थिति, दैनंदिनी प्रगति एवं व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा/दूंगी तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूरा सहयोग देता रहूँगा/रहूँगी।

वचन पत्र

(छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैंगिग) प्रतिबंध अधिनियम 2001)

मैं..आत्मज..
कक्षा.................. वचन देता/देती हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रक्रिया में भाग नहीं लूँगा/लूँगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि रैंगिग लेते यदि मैं पाया जाता/जाती हूँ तो मुझे 5 वर्ष की सजा या रूपये 5000/- अधिक का जुर्माना हो सकता है एवं मुझे महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा। (नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित)

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

छात्र का पूरा नाम ....

कक्षा ....

पिता/अभिभावक के नाम एवं हस्ताक्षर ....

- - - - - - - - ✂ - ✂ - ✂ - - - - - -

इन्दिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई

- पावती -

क्रमांक ....

छात्र/छात्रा का नाम ....कक्षा ....
में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक .... प्राप्तकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता का पूरा नाम

प्रवेश समिति की अनुशंसा

1. आवेदक को कक्षा ....
में निम्नलिखित विषयों में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।

अनिवार्य विषय

(1) आधार पाठ्यक्रम
(अ) हिन्दी भाषा
(ब) अंग्रेजी भाषा

(2) वैकल्पिक विषय
(अ) ....
(ब) ....
(स) ....

(2) पर्यावरण (केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिये)

(2) आवेदक निम्नलिखित कमियाँ पूरी करें तभी उसे प्रवेश की पात्रता होगी :-

....

....

....

प्रवेश प्रभारी
(सदस्य प्रवेश समिति)

संयोजक प्रवेश समिति

प्राचार्य का आदेश

(1) आवेदक को उपर्युक्तानुसार अस्थायी प्रवेश दिया जाता है। या

(2) आवेदन – पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

इं. गां. शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

वैशालीनगर – भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

(शिक्षक अभिभावक प्रपत्र सत्र 20..... – 20.....)

फोटो

1. विद्यार्थी का नाम .... कक्षा ....
2. विद्यार्थी का प्रवेशांक .... नामांकन क्रमांक ....
3. पिता का नाम .... माता का नाम ....
4. वर्ग ....रक्त समूह .... जन्मतिथि ....
5. स्थायी पता एवं दूरभाष क्र. ....

   ....
6. स्थानीय पता एवं दूरभाष क्र. ....
7. परिवार के सदस्यों की संख्या .... परिवार का मुख्य व्यवसाय/नौकरी ....
8. परिवार की वार्षिक आय ....
9. विद्यार्थी की अभिरुचियाँ ....
10. एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद ....
11. विद्यार्थी द्वारा दी गयी आन्तरिक एवं सत्रीय परीक्षाओं का विवरण :–

क्र.	विषय	प्रश्न पत्र	इकाई परीक्षा				त्रैमसिक परीक्षा	छःमाही परीक्षा	पूर्व वार्षिक (उपान्त्य) परीक्षा	शिक्षक अभिभावक के हस्ताक्षर
			I	II	III	IV				

क्रमशः–2

12. वर्षवार विद्यार्थी की प्रगति –

क्र.	विषय	कक्षा/संकाय	प्राप्तांक			श्रेणी
			I	II	III	

13. विद्यार्थी का समग्र व्यवहार : ....

14. समस्यायें : ....

15. समाधान के लिये किए गए प्रयास : ....

16. उपस्थिति की स्थिति

कुल कार्य दिवस	उपस्थिति के कुल दिन	प्रतिशत
....	....	....

17. प्रायोगिक कार्य विवरण : ....

18. ट्यूटोरियल विवरण : ....

19. रेमेडियल कक्षा विवरण : ....

20. सेमिनार/परिचर्चा आदि में भागीदारी : ....

विद्यार्थी का नाम एवं उनके हस्ताक्षर	पालक का नाम एवं उनके हस्ताक्षर	अभिभावक प्राध्यापक का नाम एवं उनके हस्ताक्षर

इं. गां. शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

वैशाली नगर – भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

(कक्षा में उपस्थिति)

विद्यार्थी वचन पत्र

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि यदि प्रति माह मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होती है, तो मुझे परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है तथा महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही मुझे मंजूर होगी।

उपर्युक्त शर्त पर मुझे प्रवेश प्रदान किया जावे तथा उक्त शर्ते मुझे मान्य होगी।

दिनांक .... विद्यार्थी के हस्ताक्षर

नाम ....

कक्षा ....

पालक वचन पत्र

मेरे पाल्य /पाल्या की उपस्थिति के संबंध में दिया गया वचन मेरी जानकारी में है। मैं भी उक्त शर्त स्वीकार करता हूँ। तथा पाल्य / पाल्या की उपस्थिति महाविद्यालय में निरन्तर रहे, इसके लिये वचन बद्ध रहूँगा।

दिनांक .... पालक के हस्ताक्षर

नाम ....

कक्षा ....

कार्यालय प्राचार्य, इं.गां. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

वैशाली नगर – भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

एल्यूमनी सदस्यता फार्म

सत्र 20..... – 20.....

फोटो

1. नाम – ....
2. पिता का नाम – ....
3. जन्म तिथि – ....
4. कक्षा (अध्ययनरत/भूतपूर्व) – ....
5. प्रवेश वर्ष – ....
6. संकाय – ....
7. पता (आवास) – ....

   – ....

   ई–मेल पता – ....
8. कार्यालय का पता (यदि सेवा/व्यवसाय में है) ....
9. वर्तमान स्थिति – ....

   (अध्यनरत/नौकरी/व्यवसाय/अन्य)
10. उपलब्धि – ....

    (क्षेत्रीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, एन.जी.ओ. अन्य)
11. अपने सहपाठी का विवरण –

क्र.	नाम	कोर्स	मोबाईल	ई–मेल
1				
2				
3				
4				
5				

दिनांक – ....

सदस्यता :

1. प्रथम स्तर (अन्ययनरत छात्र) – निःशुल्क
2. द्वितीय स्तर (भूतपूर्व) – 100 वार्षिक/1000 आजीवन

Indira Gandhi Govt. Arts and Commerce College

Vaishali Nagar, Bhilai, Distt- Durg (C.G.)

(इसे छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश लेने के प्रश्चात ग्रन्थालय में दिया जाय)

Library Membership form Year ....

Name

Father's Name

Status
- Employee
- Student
- Other

Designation (If Employee)

Class/Admi. No. (If Student)

Address

Contact No.

Date ....

Signature

For Office Use

Member ID

Registration Dt.

Librarian ....

छात्र - विवरण

सत्र 20 - 20

(कृपया निम्नलिखित कालमों को 10 वीं की अंक सूची के अनुसार ही भरा जावे) कक्षा ....

फोटो

1. नाम : ....
Name : ....

2. पिता का नाम : ....
Father's Name : ....

3. माता का नाम : ....
Mother's Name : ....

4. जन्म तिथि (अंकों में) (D.O.B.) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

5. वर्ग (Class) : अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जन जाति (ST)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सामान्य (General) / विकलकांग (Handicaped) (कृपया ✔ निशान लगाएं जब प्रमाण पत्र हो)

6. पिता / संरक्षक का व्यवसाय : ....

7. पिता की मासिक आय : ....

8. स्थानीय पता : ....
फोन नं. : .... मो नं. ....

9. स्थायी पता : ....
....
फोन नं. : .... मो नं. ....

10. शैक्षणिक योग्यता

Class	School / College	Subject/Course	Regular/Pvt.	Board / University	Division	Marks %
XII[TH]						
1[ST] Year						
2[ND] Year						
3[RD] Year						

11. ब्लड ग्रुप : ....

12. विशेष अभिरुचि / एन.सी.सी. : ....
योग्यता / उपलब्धियाँ : एन.एस.एस. ....
(यदि प्रमाण पत्र हो तो : खेल ....
संलग्न करें) : सांस्कृतिक गतिविधियाँ ....
: साहित्यिक गतिविधियाँ ....
(प्रश्नमंच, निबंध, वादविवाद, भाषण आदि)
: कलात्मक गतिविधियाँ ....
(चित्रकला, रंगोली, मेहंदी आदि)

13. विशेष रिमार्क : ....

प्रवेश प्रभारी के हस्ताक्षर
(सदस्य प्रवेश समिति)

छात्र के हस्ताक्षर

टीप : पूरा विवरण साफ-साफ भरें, किसी कॉलम को खाली न रखें।

इं. गां. शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

वैशाली नगर – भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

संलग्न - 1

छात्र-छात्रा का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. ....

(माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम ....

(छात्र का पुरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) ....

(संस्था का नाम) ....

में हो चुका है या हो गया है उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिये यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा। मैने विशेषतः नियमों की कंडिका – 3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ। मैने कंडिका 7 में 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूं जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग करता/करती हूं या षड़यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।

मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता / लेती हूँ कि –

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करुंगा/करुंगी जो कि कंडिका – 3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी को कंडिका–3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूं तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था में ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड़यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ/जानती हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा की दिनांक .... माह .... वर्ष ....।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर .

नाम ....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)......................... (दिन) .... (माह)..........................(वर्ष)..........................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) ....(माह)........................(वर्ष)................

शपथ आयुक्त

इं. गां. शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

वैशाली नगर – भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

संलग्न - 2

माता-पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. ....

(माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम ....

(छात्र का पुरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) ....

(संस्था का नाम) ....

में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसमें मैने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।

3. मैने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रुप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –

(अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका–3 के अंतर्गत आता है।

(ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका–3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश वंचित किया गया।

घोषणा की दिनांक .... माह .... वर्ष .... ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

फोन/मो. नं. ....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)......................... (दिन) .... (माह)..........................(वर्ष)..........................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) .... माह .... वर्ष .... को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

वार्षिक स्नेह सम्मेलन

हेमचंद यादव विष्वविद्यालय, दुर्ग के कुलसचिव के विषेष अतिथ्य में महाविद्यालय का वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया।

अंतरमहाविष्वविद्यालयीन युवा उत्सव

अंतरविष्वविद्यालयीन युवा उत्सव–2018 के लिये रंगोली, मेंहदी एवं प्रष्नोत्तरी प्रतिभागी दल के रूप में चयन हेतु अंतरमहाविद्यालयीन चयन प्रतियोगिता का आयोजन।

पाल अभियान, कोडार जलाषय, छत्तीसगढ़

महाविद्यालय के एन.सी.सी. (नेवल विंग) के सैनिक छात्रों द्वारा कोडार जलाषय, महासमुंद में आयोजित पाल अभियान में भाग लिया गया।

रेड क्रॉस सोसायटी

विष्व एड्स दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का आयोजन

"Making NSS Volunteers POCSOA champions" विषय के अंतर्गत **SAKSHI** संगठन के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के लिये कार्यषाला का आयोजन।

RDC Camp Bhopal Ship Modeling Competition

महाविद्यालय के एन.सी.सी. (नेवल विंग) के सैनिक छात्रों द्वारा भोपाल में आयोजित षिप मॉडलिंग प्रतियोगिता में सहभागिता।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

औद्योगिक एवं शैक्षणिक भ्रमण

महाविद्यालयीन क्रीड़ा उत्सव